एवं वकील पार्टी नं० 1 उपस्थित। वकील पार्टी नं० 2 ने ऑर्डरसीट पर कथन किया है कि उनको पार्टी नं० 2 जितेन्द्र की ओर से हिदायत पैरवी नही है। बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक व वकील पार्टी नं० 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18-12-2018 की पालना मे विवादित भूमि को थानाधिकारी पुलिस थाना चिड़ावा द्वारा कुर्क किया जाकर रिसीवरी मे लिया जा चुका है। प्रकरण मे अब और कोई कार्यवाही शेष नही है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों एवं बहस पर मनन किया। हम राजकीय अभिभाषक एवं वकील पार्टी नं० 1 का कथन उचित मानते है। पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली बन्द की जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुण्डी०रंगन)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं